न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 44/2024

अपीलार्थी

शंकरलाल पुत्र जगारामजी, जाति–मेघवाल, निवासी–सेउडा, तहसील– शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कैलाशनगर, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री बलवन्त कुमार, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 07 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा प्रकरण संख्या 204/2023–24 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2023 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 24.12.2024 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, ओडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम सेउडा, पटवार हल्का ओडा के खसरा संख्या 119 रकबा 0.3100 हेक्टेयर अर्थात् 336 वर्गफीट किस्म गै.मु. आखरी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का आदेश दिया। अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया हे। उकत खसरा संख्या 119 की भूमि गै.मु. आखरी खातेदारी में दर्ज है जो ग्राम की आबादी भूमि में स्थित है तथा वहां पर सभी लोगों के पक्के व कच्चे मकान बने हुए है जहां पर लोग निवास करते है। उक्त आबादी भूमि में टायर पंचर निकालने का व्यवसाय काफी बरसों से अपीलार्थी करता आ रहा है। उक्त दुकान आबादी भूमि में स्थित होने से उसे हटाने का अधिकार केवल मात्र ग्राम पंचायत को है, न ही राजस्व विभाग को, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार बता कर निर्णय पारित किया है। यह कि ग्राम सेउडा एक छोटा सा ग्राम है जहां पर सभी काश्तकार लोग निवास करते है। ग्रामवासियों के पास ट्रक्टर ट्रोली, मोटर साईकिल आदि वाहन है। ग्राम सेउडा में एक भी टायरों के पंचर निकालने की दुकान नही है जिससे ग्रामवासियों को अपने वाहन के टायरों के पंचर निकलवाने हेतु दूसरे ग्राम में जाना पड़ता था जिस पर ग्रामवासियों ने मिलकर तत्कालीन सरपंच की सहमति से अपीलार्थी को विवादित भूमि पर टायरों के पंचर निकालने की दुकान दिनांक 01.6.2001 को लगवाई थी तबसे अपीलार्थी उक्त दुकान में पंचर निकालने का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, जो निर्बाध रुप से यथावत कायम

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है। यह कि अपीलार्थी से ग्राम पंचायत में वार्ड पंच रह चुका किरणलाल त्रिवेदी रंजिश रखता है जो अपीलार्थी के विरुद्ध आये दिन झूठी शिकायतें करता रहता है एवं पटवारी से मेल मिलाप कर अपीलार्थी के विरुद्ध गलत कार्यवाही प्रस्तुत करवाई है। जबकि ग्रामवासियों व तत्कालीन सरपंच की सहमति से अपीलार्थी उक्त स्थान पर टायर पंचर निकालने का कार्य कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाने पर अपीलार्थी ने साक्ष्य–सबूत पेश करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के पीठ पीछे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2023 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, ओडा संवत 2080 में अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर पक्का कमरा बनाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर में प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच अपीलार्थी का विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, ओडा द्वारा संवत **2080** में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम सेउडा के खसरा संख्या **119 कुल रकबा 0–3237** हेक्टेयर किस्म गै.मु. आखरी में से रकबा 336 वर्गफीट अर्थात् 0–0031 हेक्टेयर भूमि पर पक्का कमरा बनाकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट उप तहसीलदार, कैलाशनगर को प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 22.12.2023 व 29.12.2023 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ, लेकिन अपीलार्थी ने बचाव में साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये तथा न ही जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 22.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर उसके स्वयं के द्वारा ही अतिक्रमण हटा देने के लिये आगामी तारीख चाही गई है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में ग्राम सेउडा के खसरा संख्या 119 कुल रकबा 0–0031 हेक्टेयर किस्म गै.मु. आखरी राजकीय बिलानाम भूमि है एवं अपीलार्थी ने उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अन्र्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही (seal)

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही